

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3790
दिनांक : 22.12.2025

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. विभागाध्यक्ष, समन्वयक, निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषय:-प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों में रोड सफ्टी क्लब गठन का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या: क्षेत्र0का0ल0/4147-50/2025-26 दिनांक: 04.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु रोड सेफ्टी क्लब का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 04.10.2025 की प्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों/संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु रोड सेफ्टी क्लब का गठन करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी0 rsaraaffiliation@gmail.com पर दिनांक: 26.12.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रेषक,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
सेक्टर-एम, आशियाना
लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक: क्षे0का0ल0/ 4147-50 /2025-26 दिनांक: 04/10/2025

विषय: प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब गठन का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु रोड सेफ्टी क्लब का गठन कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गए हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद स्थित समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में (संलग्न सूची में अंकित संस्थानों को छोड़कर) रोड सेफ्टी क्लब का गठन कराते हुए नवगठित रोड सेफ्टी क्लबों की जनपदवार संकलित सूची संलग्न प्रारूप पर केवल एक्सेल शीट में ई-मेल आई0डी0 roadsafety695@gmail.com पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें । प्रकरण शासन की प्राथमिकता का है, आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है ।

संलग्नक-उक्तवत ।

भवदीय



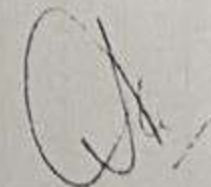
प्रो0(अश्विनी कुमार मिश्र)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/
नोडल अधिकारी (सड़क सुरक्षा) उ0प्र0

पृ0सं0-क्षे0का0ल0/ 4147-50 /2025-26, तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।



प्रो0(अश्विनी कुमार मिश्र)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/
नोडल अधिकारी (सड़क सुरक्षा) उ0प्र0

